# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

*प्रेस नोट सं0-580*
*दिनांक 10.04.2026*

**लखनऊ पुलिस का सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन व हुड़दंगई के खिलाफ विशेष/ सख़्त अभियान।**

***कुल चेक किये गये स्थान-101 / कुल चेक किए गए व्यक्ति-2224 / धारा 34 के अंतर्गत चालान: 396 व्यक्ति***

- सभी जोनों के पुलिस उपायुक्तों के नेतृत्व में ACPs व थाना प्रभारियों की टीमों द्वारा लगातार चेकिंग अभियान।
- पुलिस टीमों द्वारा **कुल 101 स्थानों** पर चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें **कुल 2224 व्यक्तियों की चेकिंग** की गई।
- सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते पाए जाने पर **2224 व्यक्तियों पर विधिक कार्यवाही/चालान** की गई।
- संबंधित व्यक्तियों को भविष्य में ऐसी गतिविधि न करने की **कड़ी चेतावनी** दी गई।

**कार्यवाही विवरण-**

**श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ, श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर** के निर्देशानुसार तथा **संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था)** के पर्यवेक्षण एवं जनपद के **सभी जोनों** के पुलिस उपायुक्तों के नेतृत्व में लखनऊ पुलिस द्वारा कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने, अपराधों की रोकथाम करने तथा सार्वजनिक शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से दिनांक **09.04.2026 को समय 21.00 बजे से 23.00 बजे तक** विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत **सार्वजनिक स्थानों/दुकानों के बाहर खुले में बैठ कर शराब पीने वाले व्यक्तियों, शराब पीकर हुड़दंग करने वालों, राहगीरों एवं विशेषकर महिलाओ तथा आम जनमानस** के लिए असुविधा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों, शराब पीकर सड़क मार्ग एवं दुकनों के सामने अभ्रद व्यवहार/गालीगुप्ता करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की गई।

अभियान के दौरान **101 स्थानों** पर **कुल 2224 व्यक्तियों की चेकिंग की गई**, जिसमें **396 व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करते हुए पाए जाने पर विधिक धाराओं के अंतर्गत चालान की कार्यवाही** की गई। साथ ही सभी को भविष्य में ऐसी हरकत न दोहराने की **कड़ी चेतावनी** भी दी गई।

इसी क्रम में कमिश्नरेट के सभी जोनों के सहायक पुलिस आयुक्त एवं समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपनी-अपनी पुलिस टीमों के साथ **सार्वजनिक स्थानों—सड़कों, पार्कों, बाजार क्षेत्रों, बस स्टैंड, चौराहों व अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थलों—** पर गहन चेकिंग अभियान चलाया गया।

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

**प्रेस विज्ञप्ति सं0-581**
**दिनांक-10.04.2026**

**लखनऊ के अन्तर्गत थाना- विभूतिखण्ड व इन्दिरानगर, लखनऊ क्षेत्र के मनबढ़ एवं दबंग व्यक्तियों को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का पारित किया गया आदेश-**

न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय), लखनऊ में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु संस्थित वाद संख्याः 222(89)/2025 एवं 20(12)/2026 से सम्बन्धित विपक्षीगण के विरुद्ध न्यायालय में उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा-3 के तहत सुनवाई के दौरान विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान संयुक्त निदेशक अभियोजन, कमिश्नरेट लखनऊ **श्री अवधेश कुमार सिंह** द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया। अभियोजन के तर्कों से संतुष्ट होकर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 10.04.2026 को खुले न्यायालय में विपक्षीगण के आपराधिक कृत्यों पर अंकुश लगाये जाने के क्रम में विपक्षीगण को लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का आदेश पारित किया गया।

| थाना | क्र0 सं0 | वाद सं0 | नाम व पता विपक्षी | आपराधिक इतिहास | | | | जिला बदर की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | क्र0 सं0 | मु0अ0सं0 | धारा | थाना | |
| विभूतिखण्ड | 1 | 222(89)/2025 | अंकित कश्यप उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र बालक राम कश्यप निवासी 3/18 विनम्र खण्ड गोमतीनगर, थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ मूल पता 1/572 विशालखण्ड थाना गोमतीनगर, लखनऊ | 1 | 451/2017 | 379/411 भा0द0वि0 | विभूतिखण्ड | 06 माह |
| | | | | 2 | 403/2020 | 323/504/506 भा0द0वि0 | गोमतीनगर | |
| | | | | 3 | 103/2024 | 323/504/506 भा0द0वि0 | विभूतिखण्ड | |
| | | | | 4 | 277/2024 | 115(2)/351(3)/352 बी0एन0एस0 | विभूतिखण्ड | |
| | | | | 5 | 437/2024 | 406/504/506 भा0द0वि0 | विभूतिखण्ड | |
| इन्दिरानगर | 2 | 20(12)/2026 | विकास चौधरी उर्फ विक्की उम्र करीब 26 वर्ष पुत्र प्रवेश दयाल चौधरी निवासी सी-567 दीनदयालपुरम तकरोही, थाना इन्दिरानगर, लखनऊ | 1 | 384/2016 | 147/341/323/504/506 भा0द0वि0 | इन्दिरानगर | 06 माह |
| | | | | 2 | 362/2019 | 147/148/149/323/504/506/427 भा0द0वि0 | इन्दिरानगर | |
| | | | | 3 | 369/2019 | 302/147/307/120(बी) भा0द0वि0 व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट | इन्दिरानगर | |
| | | | | 4 | 150/2020 | 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट | इन्दिरानगर | |
| | | | | 5 | 333/2024 | 191(2)/191(3)/115(2) बी0एन0एस | इन्दिरानगर | |
| | | | | 6 | 177/2025 | 190/191(2)/191(3)/109(1)/351(2)/324(1)/61(2)/3(5) बी0एन0एस0 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट | गाजीपुर | |

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

**प्रेस नोट सं0-578**

**दिनांक-10.04.2026**

**जोन- पूर्वी/थाना-विभूतिखण्ड**

- **क्राइम टीम लखनऊ, क्राइम/सर्विलांस (पूर्वी) व थाना विभूतिखण्ड की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 75 लाख की हुई लूट का सफल अनावरण।**
- **पुलिस टीम द्वारा घटना कारित करने वाले 05 शातिर वांछित लुटेरे को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 45 लाख रुपये नगद तथा घटना में प्रयुक्त स्कार्पियों (बिना नम्बर प्लेट) बरामद की गयी।**

**01-सक्षिप्त विवरण-**

थाना विभूतिखण्ड पर **दिनांक 05.04.2026** को वादी मुकदमा **श्री निकुल सिंह जडेजा पुत्र महेन्द्र सिंह जडेजा निवासी परपाटन गुजरात** के प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र बाबत स्कार्पियो पर सवार 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी को धक्का देकर नगद कैश से भरा बैग लेकर भाग जाने विषयक के आधार पर **मु.अ.सं. 0119/2026 धारा 309(4) बीएनएस बनाम 02 अज्ञात व्यक्ति** के पंजीकृत किया गया।

उक्त सूचना प्राप्त होते ही त्वरित कार्यवाही करते हुए एवं घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल उच्चाधिकारीगण मौके पर पहुंचे जिनके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी व लूटे गये रुपयों की बरामदगी हेतु मौके पर ही टीमों का गठन किया गया।

क्राइम ब्रांच कमिश्नरेट लखनऊ व क्राइम/सर्विलांस टीम पूर्वी जोन तथा थाना विभूतिखण्ड की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल के आसपास **स्थापित सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से रूट मैप तैयार कर होटल सेवी ग्राण्ड के पास थाना क्षेत्र विभूतिखण्ड में 75 लाख रुपयों** की लूट करने वाले शातिर लुटेरों के गिरोह के सदस्यों को मुखबिर की सूचना पर दिनांक 10.04.2026 को लखनऊ पब्लिक कॉलेज कठौता झील के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से **45 लाख रुपये नगद व घटना में प्रयुक्त स्कार्पियो बारंग काली (बिना नम्बर प्लेट) बरामद** की गयी।

पकड़े गये अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। बरामदगी व साक्ष्य के आधार पर धारा 317(2)/317(5)/61(2)बीएनएस की बढोत्तरी की गयी तथा अन्य वांछित संलिप्त अभियुक्तों की तलाश जारी है।

**02-अपराध का उद्देश्य व तरीका:-**

होटल ड्राइवर राहुल अकसर विभिन्न जनपदो मे जाकर होटल/बिजनेस का पैसा कलेक्ट करता है इसके द्वारा यह कार्य विगत कई वर्षों से किया जा रहा है। रुपये देख कर कई बार उसके मन में लालच आया परन्तु डर की बजह से पैसो की हेराफेरी नही कर पा रहा था।